1. राजभाषा गौरव पुरस्कार :

आधुनिक ज्ञान-विज्ञान की विभिन्न विधाओं एवं राजभाषा हिन्दी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मौलिक रूप से राजभाषा हिन्दी में पुस्तक लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय वर्ष 2015-16 से नई पुरस्कार योजना शुरु की गई है, जिसका नाम 'राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना' है। इसके तहत निम्नलिखित पुरस्कार योजनाएं हैं:-

क) भारत के नागरिकों को हिन्दी में ज्ञान विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार।

ख) केन्द्र सरकार के कार्मिकों (सेवानिवृत्त सहित) को हिन्दी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार।

ग) केन्द्र सरकार के कार्मिकों (सेवानिवृत्त सहित) को हिन्दी में उत्कृष्ट लेख के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार।

पुरस्कार:

प्रथम पुरस्कार (एक)- 2,00,000/- रु. (दो लाख रुपए) प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिन्ह

द्वितीय पुरस्कार (एक)- 1,25,000/- रु. (एक लाख पच्चीस हजार रुपए) प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिन्ह

तृतीय पुरस्कार (एक)- 75,000/- रु. (पचहत्तर हजार रुपए) प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिन्ह

प्रोत्साहन पुरस्कार (दस)- 10,000/- रु. (दस हजार रुपए) प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिन्ह प्रत्येक को

पात्रता:

1) लेखक भारत का नागरिक होना चाहिए।

2) पुस्तक आधुनिक तकनीकी/विज्ञान की विभिन्न विधाओं पर लिखी हो सकती है,

क. इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रानिक, कंप्यूटर विज्ञान, भौतिकी, जीव विज्ञान, ऊर्जा, अंतरिक्ष। विज्ञान, आयुर्विज्ञान, रसायन विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी प्रबंधन, मनोविज्ञान इत्यादि

ख. समसामयिक विषय – जैसे उदारीकरण, भूमंडलीकरण, उपभोक्तावाद, मानवाधिकार, प्रदूषण इत्यादि।

2. राजभाषा कीर्ति पुरस्कार :

इस पुरस्कार योजना के अंतर्गत निम्नलिखित को पुरस्कृत किया जाएगा :-

क) मंत्रालय/विभाग

ख) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

ग) बोर्ड/स्वायत्त निकाय/ट्रस्ट आदि

घ) राष्ट्रीयकृत बैंक

ड.) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति

च) हिन्दी गृह पत्रिका

राजभाषा नीति के सर्वश्रेष्ठ कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप राजभाषा के प्रयोग में बेहतर प्रगति दर्ज करने वाले उपरोक्त कार्यालयों/संस्थानों को पुरस्कार स्वरूप राजभाषा शील्ड देकर सम्मानित किया जाएगा। प्रत्येक क्षेत्र के लिए प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार शील्ड के रूप में दिए जाएंगे। पुरस्कारों का निर्णय राजभाषा नीति के कार्यान्वयन से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्टों के आधार पर किया जाएगा। इसके अंतर्गत हिंदी दिवस समारोह के अवसर पर निम्नानुसार पुरस्कार दिए जाएंगे।

श्रेणी	विवरण	पुरस्कार
मंत्रालय/विभाग	300 से कम स्टाफ संख्या वाले मंत्रालय 300 से अधिक स्टाफ संख्या वाले मंत्रालय	03 शील्डें 03 शील्डें
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	क क्षेत्र में स्थित उपक्रम ख क्षेत्र में स्थित उपक्रम ग क्षेत्र में स्थित उपक्रम	03 शील्डें 03 शील्डें 03 शील्डें
बोर्ड, स्वायत्त निकाय, ट्रस्ट आदि	क क्षेत्र में स्थित बोर्ड आदि ख क्षेत्र में स्थित बोर्ड आदि ग क्षेत्र में स्थित बोर्ड आदि	03 शील्डें 03 शील्डें 03 शील्डें
राष्ट्रीयकृत बैंक	क, ख तथा ग क्षेत्र के किए प्रथम तथा द्वितीय पुरस्कार	06 शील्डें
नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति	क, ख तथा ग क्षेत्र में स्थित एक-एक न.रा.का.स को	03 शील्डें
हिन्दी गृह पत्रिका	क, ख तथा ग क्षेत्र में प्रथम और द्वितीय पुरस्कार	06 शील्डें

3. हिंदी प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ तथा हिंदी टंकण व हिंदी आशुलिपि की परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने पर मिलने वाली पुरस्कार-राशि :

वैयक्तिक वेतन

क्रम सं.	**परीक्षा**	**वैयक्तिक वेतन**
1.	प्रबोध परीक्षा	जिनके लिए प्रबोध पाठ्यक्रम अंतिम पाठ्यक्रम के रूप में निर्धारित किया गया है, जो इस परीक्षा को 55 प्रतिशत या अधिक अंक लेकर उत्तीर्ण करते हैं।
2.	प्रवीण परीक्षा	जिनके लिए प्रवीण पाठ्यक्रम अंतिम पाठ्यक्रम के रूप में निर्धारित किया गया है, जो इस परीक्षा को 55 प्रतिशत या अधिक अंक लेकर उत्तीर्ण करते हैं (अराजपत्रित कर्मचारी), जो इस परीक्षा को 60 प्रतिशत या अधिक अंक लेकर उत्तीर्ण करते हैं (राजपत्रित अधिकारी)।

क्रम सं.	परीक्षा	वैयक्तिक वेतन
3.	प्राज्ञ परीक्षा	जिनके लिए प्राज्ञ पाठ्यक्रम अंतिम पाठ्यक्रम के रूप में निर्धारित किया गया है, जो इस परीक्षा को उत्तीर्णांक लेकर उत्तीर्ण करते हैं (अराजपत्रित कर्मचारी), जो इस परीक्षा को 60 प्रतिशत या अधिक अंक लेकर उत्तीर्ण करते हैं (राजपत्रित अधिकारी)।
4.	हिंदी टंकण	एक वेतन वृद्धि के बराबर 12 महीने की अवधि के लिए वैयक्तिक वेतन।
5.	हिंदी आशुलिपि	अराजपत्रित हिंदी भाषी आशुलिपिक – उत्तीर्ण करने पर 12 महीने के लिए एक वेतन वृद्धि, जो आगामी वेतन वृद्धि में मिला दी जाती है, राजपत्रित हिंदी भाषी आशुलिपिक – 90 प्रतिशत या अधिक अंक लेकर हिंदी आशुलिपि परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 12 महीने के लिए एक वेतन वृद्धि, अहिंदी भाषी आशुलिपिक (राजपत्रित एवं अराजपत्रित दोनों) - हिंदी आशुलिपि परीक्षा उत्तीर्ण करने पर दो वेतन वृद्धियों के बराबर वैयक्तिक वेतन।

नक़द पुरस्कार

	प्रबोध	**प्रवीण**	**प्राज्ञ**
70% या अधिक अंक प्राप्त करने पर	1600/-	1800/-	2400/-
60% या अधिक परंतु 70% से कम अंक प्राप्त करने पर	800/-	1200/-	1600/-

	प्रबोध	**प्रवीण**	**प्राज्ञ**
55% या अधिक परंतु 60% से कम अंक प्राप्त करने पर	400/-	600/-	800/-

हिंदी टंकण	राशि	हिंदी आशुलिपि	राशि
97% या अधिक अंक प्राप्त करने पर	2400/-	95% या अधिक अंक प्राप्त करने पर	2400/-
95% या इससे अधिक परंतु 97% से कम अंक प्राप्त करने पर	1600/-	92% या इससे अधिक परंतु 95% से कम अंक प्राप्त करने पर	1600/-
90% या इससे अधिक परंतु 95% से कम अंक प्राप्त करने पर	800/-	88% या इससे अधिक परंतु 92% से कम अंक प्राप्त करने पर	800/-

एकमुश्त पुरस्कार

क्रम सं.	परीक्षा	पुरस्कार-राशि
1.	हिंदी शिक्षण योजना की प्रबोध परीक्षा	1600/-
2.	हिंदी शिक्षण योजना की प्रवीण परीक्षा	1500/-
3.	हिंदी शिक्षण योजना की प्राज्ञ परीक्षा	2400/-
4.	हिंदी शिक्षण योजना की हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण परीक्षा	1600/-
5.	हिंदी शिक्षण योजना की हिंदी आशुलिपि परीक्षा	3000/-

4. क्षेत्रीय स्तर पर आयोजित हिंदी निबंध, वाक् तथा टिप्पण एवं प्रारूप लेखन प्रतियोगिताओं की पुरस्कार-राशि

पुरस्कार	हिंदी निबंध प्रतियोगिता	हिंदी वाक् प्रतियोगिता	हिंदी टिप्पण एवं प्रारूप लेखन प्रतियोगिता
प्रथम (एक)	2000	2000	2000
द्वितीय (एक)	1600	1600	1600
तृतीय (एक)	1200	1200	1200
सांत्वना (3 पुरस्कार)	800 (प्रत्येक को)	800 (प्रत्येक को)	800 (प्रत्येक को)

5. अखिल रेल स्तर पर आयोजित हिंदी निबंध, वाक् तथा टिप्पण एवं प्रारूप लेखन प्रतियोगिताओं की पुरस्कार-राशि

पुरस्कार	हिंदी निबंध प्रतियोगिता	हिंदी वाक् प्रतियोगिता	हिंदी टिप्पण एवं प्रारूप लेखन प्रतियोगिता
प्रथम (एक)	3000	3000	3000
द्वितीय (एक)	2500	2500	2500
तृतीय (एक)	2000	2000	2000
सांत्वना (5 पुरस्कार)	1500 (प्रत्येक को)	1500 (प्रत्येक को)	1500 (प्रत्येक को)

6. मुख्यालय स्तर पर आयोजित हिंदी निबंध, वाक् तथा टिप्पण एवं प्रारूप लेखन प्रतियोगिताओं की पुरस्कार-राशि

पुरस्कार	हिंदी निबंध प्रतियोगिता	हिंदी वाक् प्रतियोगिता	हिंदी टिप्पण एवं प्रारूप लेखन प्रतियोगिता
प्रथम	500	500	500
द्वितीय	400	400	400
तृतीय	300	300	300
सांत्वना	200	200	200

7. रेल मंत्री हिंदी निबंध प्रतियोगिता की पुरस्कार-राशि

	प्रथम पुरस्कार	द्वितीय पुरस्कार
1. राजपत्रित	6000/- रु.	4000/- रु.
2. अराजपत्रित	6000/- रु.	4000/- रु.

8. सरकारी कामकाज में हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग करने के लिए लागू व्यक्तिगत नकद पुरस्कार योजना

इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष प्रत्येक रेलवे/उत्पादन कारखानों के लिए निर्धारित कोटे (रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित) के अनुसार अधिकारियों/कर्मचारियों को 1500-1500/- रु. के नक़द पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं।

9. अधिकारियों द्वारा हिंदी में अधिकाधिक डिक्टेशन देने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु पुरस्कार योजना

राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) के निदेशानुसार क्षेत्रीय रेलों के विभागों तथा मंडलों/कारखानों के कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अधिकारियों को हिंदी में अधिकाधिक डिक्टेशन देने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की उपर्युक्त योजना लागू है । कार्यालय से तात्पर्य उस कार्यालय से है जिसका स्थानीय मुख्य अधिकारी विभागाध्यक्ष अथवा कार्यालयाध्यक्ष घोषित किया गया हो । तदनुसार, प्रत्येक विभाग में दो पुरस्कार, एक हिंदी भाषी (जिसका घोषित निवास 'क' और 'ख' क्षेत्र हो) और एक गैर-हिंदी भाषी (जिसका घोषित निवास 'ग' क्षेत्र हो) रेल अधिकारी को 5000-5000/- रुपए का नक़द पुरस्कार देने की व्यवस्था है ।

10. सरकारी कामकाज में मूल रूप से हिंदी में टिप्पण/आलेखन कार्य के लिए 10000/ 20000 शब्द योजना के अंतर्गत पुरस्कार-राशि

इस योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष प्रत्येक रेल कार्यालय में हिंदी और हिंदीतर भाषी अधिकारियों/ कर्मचारियों को वर्ष के दौरान क्रमश: 20/10 हज़ार शब्द हिंदी में फाइलों पर टिप्पणी, प्रारूप इत्यादि के रूप में लिखने के आधार पर नक़द पुरस्कार देने की व्यवस्था है ।

पहला पुरस्कार (2 पुरस्कार)	:	प्रत्येक 5000/- रु.
दूसरा पुरस्कार (3 पुरस्कार)	:	प्रत्येक 3000/- रु.
तीसरा पुरस्कार (5 पुरस्कार)	:	प्रत्येक 2000/- रु.